प्रसारण परिषद् गठित किये जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इन सुझावों को स्वीकार करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सार्वजनिक निगमों को प्रसारण के अधिकार देने की स्कीम को कार्यरूप देने के संबद्ध उपलब्ध विकल्पों पर सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त कानून के जरिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है जिसके सदस्य ईमानदार और ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हों । इस प्राधिकरण को भारतीय प्रसारण परिषद् कहा जा सकता है । इस परिषद् को अन्य बातों के साथ-साथ, लाइसेंस जारी करने, कार्यक्रमों की मानिटरिंग करने, गुणवत्ता निर्धारण और शिकायतो का समाधान करने का दायित्व सौंपा जा सकता है । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रसारण परिषद् से संबंधित प्रावधानों को प्रसार-भारती अधिनियम से निकालकर नये कानून का अंग बना दिया जाये ।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

आकाशवाणी के रत्नागिरि केन्द्र के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

3225. **श्री विश्वास राव रामराव पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के रत्नागिरि केन्द्र के कार्यकरण के बारे में नागरिकों और वहां के कर्मचारियों ने अनेक शिकायतें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई छानबीन कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) आकाशवाणी, रत्नागिरि के केन्द्र निदेशक को कार्यप्रणाली के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । उनकी जांच की की गयी है । केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी रत्नागिरि का जनहित में, प्रशासनिक आधार पर, पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है ।

Appointment of retiring persons in Information & Broadcasting Ministry as consultants

3226. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ministry of Information & Broadcasting have appointed retiring Government servants as consultants in the Cadres of Section Officer and CSSS Grade 'B';

(b) If so, the number of such Consultants and the special job for which they have been re-employed;

(c) whether it is also a fact that their reappointments have closed the doors of promotion for other persons in the respective cadres who are retiring in the next six months to one year; and

(d) if so, what steps Government propose to take to save the retiring persons for recurring loss in their retiring pension?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) and (b) Yes, Sir, two officers of CSS and CSSS were apopinted on